तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 111/ग्रा०प०/22 छिग्गा प/रामसुख	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/24	पत्रावली पेश। हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 265/492 वाके ग्राम मराडी पटवार मण्डल बसोली जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होना प्रमाणित आया है। प्रकरण में अप्रार्थी 1 लगायत 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है व अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा राजकीय राशि जमा करवाने उपरान्त पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। वादग्रस्त आराजीयात् प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी किए जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण भूमि भूमि खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 265/492 वाके ग्राम मराडी पटवार मण्डल बसोली की पत्थरगढी करवाये जाने बाबत आंशिक स्वीकार योग्य है। –: आदेश :– प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आलोक में आदेश दिए जाते है कि विवादित भूमि खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 265/492 से लगती हुई भूमि खसरा संख्या 265/480, 265, 316, 317, 261 की सीमा पर वाके ग्राम मराडी पटवार मण्डल बसोली के पडोसी काश्तकारन को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। सम्बन्धित भू0अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी करने से कम से कम 3 दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडोसियान एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। उक्त आदेश की पालना के लिए पत्थरगढी फीस नियमानुसार प्रार्थी से राजकोष में जरिए चालान निर्धारित मद में जमा करवाई जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	